संख्या-5/2026/ए-1-11/दस-2026-10-1099/276/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 17 मार्च, 2026

विषयः- दिनांक 31 मार्च, 2026 को कोषागारों/एजेन्सी बैंक की शाखाओं को खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को 'महावीर जयंती' का पर्व होने के कारण सार्वजनिक अवकाश है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति की ओर है, जिसके कारण दिनांक 31 मार्च, 2026 को अत्यधिक लेनदेन होना स्वाभाविक है, इसलिये शासकीय कार्य करने वाली समस्त बैंक शाखाओं तथा कोषागारों को दिनांक 31 मार्च, 2026 को खोला जाना आवश्यक है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषागारों के साथ-साथ वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2 के प्रस्तर-503 के अधीन ऐसे बैंकों की सभी शाखाएँ, जो सरकारी लेन-देन का कार्य करती हो, को खोले जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अपर मुख्य सचिव/ सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त वर्णित तिथियों को सभी कोषागारों को आवश्यक्तानुसार खोलने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करें।

(6) सहायक महाप्रबन्धक, मुद्रा प्रबन्धक विभाग, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, पोस्ट बाक्स संख्या-1379, मुम्बई-400023

(7) उपमहाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गाँधी मार्ग, कानपुर 208001

(8) मुद्राधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई।

(9) मुख्य अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई।

(10) महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, 8 वॉ तल, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,

महेन्द्र कुमार भट्ट
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।